न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 10 / 2025

अपीलांट्स –

1. खेताराम पुत्र मिसराराम
2. श्रीमती चुनीदेवी पत्नि मिसराराम जाति सुनार निवासी लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार धोरीमन्ना
2. पुखराज पुत्र राणाराम
3. आदूराम पुत्र अचलाजी जाति सुनार निवासी लूखू तहसील धोरीमन्ना
4. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 982 दिनांक 26.07.2021 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री के.आर. खोथ, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पो0 सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 13.01.2026

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 982 दिनांक 26.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा लुखु में खेत खसरा संख्या 259 / 467 रकबा 01.18 बीघा भूमि खातेदारान पुखराज वल्द राणाराम कौम सुनार आदूराम वल्द अचलाराम कौम कुम्हार 2 / 3, खेताराम वल्द मिसराराम चुनीदेवी पत्नी मिसराराम 1 / 3 कौम सुनार सा. देह खातेदार जिला बाड़मेर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त ख[illegible] से कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 22.07.2021 [illegible] प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसा[illegible] निवेदन किया। इस [illegible]का पटवारी लूखु की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदा[illegible]रीमन्ना द्वारा उक्त अ[illegible]न विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 982 दिनांक 26.07.2021 पारित किया गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 2 की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा लूखु में खेत खसरा संख्या 259 / 467 रकबा 01.18 बीघा भूमि आई हुई है। उतरदाता संख्या 01 से 2 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने की सहमति दी। जिस पर दोनो पक्षो ने पटवारी हलका से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा। जिस पर पटवारी ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से माफिक बाहमी तौर से किये गये बंटवाडा माफिक उतरदाता संख्या 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात हलका पटवारी ने उतरदाता संख्या 1 से 2 से मिलावट कर नक्शा मे अपनी मनमर्जी से रंग भरवा कर कागजात उतरदाता संख्या 1 के समक्ष पेश किये। पटवारी हल्का व उतरदाता संख्या 1 से 2 पर विश्वास करके अंगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर कर हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु सौंप दिये जिस पर उतरदाता संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि वर्तमान के अरसा 20–25 दिन पूर्व अपीलांट को मौके पर ... के कारण उठे विवाद हुआ जिस पर अपीलांट्स को ... लगे तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार धोरीमन्ना ... नकलें मांगी जो नकले अपीलांट को दिनांक 01.01.2025 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्‌भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा लूखु में खेत खसरा संख्या 259 / 467 रकबा 01.18 बीघा भूमि आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा लुखु में खेत खसरा संख्या 259 / 467 रकबा 01.18 बीघा भूमि खातेदारान पुखराज वल्द राणाराम कौम सुनार आदूराम वल्द अचलाराम कौम कुम्हार 2 / 3, खेताराम वल्द मिसराराम चुनीदेवी पत्नी मिसराराम 1 / 3 कौम सुनार सा. देह खातेदार जिला बाड़मेर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 22.07.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी लूखु की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 982 दिनांक 26.07. 2021 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश में विभाजित भूमि के कुल रकबा 0.3076 हैक्टेयर में अपीलकर्तागण के 1 / 3 हिस्सा में 0.1025 हैक्टैयर एवं उतरदातागण के 2 / 3 हिस्सा में 0.2050 हैक्टेयर भूमि अंकित करने के स्थान पर अपीलकर्तागण के 1 / 3 हिस्सा में 0.9071 हैक्टैयर एवं उतरदातागण के संख्या 2 व 3 के 2 / 3 हिस्सा 0.2105 हैक्टेयर अंकित कर अपीलकर्तागण 1 / 3 हिस्सा में 0054 हैक्टेयर यानि 581.24 [illegible] भूमि कम अंकित करने के कारण अपीलाधीन आदेश [illegible] के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता [illegible] करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट [illegible] गई हैं। अपीलांट्स के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि अपीलांटगण के हिस्से में कम भूमि अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

होने के कारण पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 982 दिनांक 26.07.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार धोरीमन्ना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:04 IST
Reason: SelfAttested